



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

9 वैशाख, 1947 (श०)

संख्या - 202 राँची, मंगलवार,

29 अप्रैल, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

आदेश

7 मार्च, 2025

आदेश सं०-5/आरोप-1-15/2016 का०-2055--श्री अशोक कुमार चोपड़ा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-173/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बड़कागाँव, हजारीबाग के विरुद्ध माननीय सूचना आयुक्त, झारखण्ड, राँची द्वारा दिनांक 30.09.2015 को पारित आदेश में अपील वाद संख्या-1849/14 श्री हीरो महतो बनाम जनसूचना पदाधिकारी-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बड़कागाँव, हजारीबाग मामले में अपीलकर्ता को निर्धारित समय सीमा के अंदर सूचना उपलब्ध नहीं करवाने एवं आयोग के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-20(1) के तहत 25,000/- रुपये का जुर्माना एवं धारा-19(8)(बी) के तहत अपीलकर्ता की क्षतिपूर्ति भरपाई के लिए 20,000/- रुपये तथा धारा-20(2) के तहत विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गई ।

2. उक्त मामले में उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-195/स्था०, दिनांक 19.02.2016 द्वारा श्री चोपड़ा के विरुद्ध प्रपत्र 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध आवेदक श्री हीरो महतो को सूचना उपलब्ध नहीं कराने एवं माननीय राज्य सूचना आयुक्त के आदेश की अवहेलना करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

3. उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-1799, दिनांक 26.02.2016 द्वारा श्री चोपड़ा से स्पष्टीकरण की माँग की गई है। श्री चोपड़ा के पत्रांक-362, दिनांक 21.03.2016 द्वारा W.P.(C) No.-165/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.03.2016 को पारित अंतरिम न्यायादेश के आलोक में पीड़क कार्रवाई नहीं करने का अनुरोध किया गया।

4. W.P.(C) No.-165/2016 में मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 24.09.2019 को पारित आदेश द्वारा माननीय सूचना आयुक्त, झारखण्ड, राँची द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-20(1) के तहत 25,000/- रुपये का जुर्माना एवं धारा-19(8) (बी) के तहत अपीलकर्ता की क्षतिपूर्ति भरपाई के लिए 20,000/- रुपये अधिरोपित दण्ड को निरस्त करते हुए संबंधित विषय में नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु सूचना आयुक्त को वापस कर दी गई है।

5. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(C) No.-165/2016 में दिनांक 24.09.2019 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय पत्रांक-7997, दिनांक 10.12.2024 द्वारा झारखण्ड राज्य सूचना आयुक्त, राँची से कृत कार्रवाई प्रतिवेदन की माँग की गई तथा पत्रांक-7996, दिनांक 10.12.2024 द्वारा श्री चोपड़ा से स्पष्टीकरण की माँग की गई।

6. झारखण्ड राज्य सूचना आयुक्त, राँची के पत्रांक-905, दिनांक 24.12.2024 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि आयोग माननीय उच्च न्यायालय व निर्देश के आलोक में जन सूचना पदाधिकारी के विरुद्ध आर०टी०आई० एक्ट की धारा-20(1) तथा धारा-20(2) के तहत पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया है।

7. श्री चोपड़ा के द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित किया गया है। झारखण्ड राज्य सूचना आयोग पारित नये आदेश के आलोक में उनके द्वारा उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-195/स्था०, दिनांक 19.02.2016 द्वारा गठित आरोप से मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

8. झारखण्ड राज्य सूचना आयोग, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन एवं श्री चोपड़ा द्वारा समर्पित जवाब की समीक्षा की गई।

अतः समीक्षोपरांत, झारखण्ड राज्य सूचना आयोग, राँची के आदेश से सहमत होते हुए श्री अशोक कुमार चोपड़ा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 173/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बड़कागाँव, हजारीबाग के गठित आरोप से मुक्त करते हुए इस मामले को संचिकास्त किया जाता है।

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के संयुक्त सचिव।
